# जैवविविधता प्रबंधन समिति से जुड़ी प्रश्नावली

(तथ्य एवं आशंकाएं)

## बी.एम.सी. क्या है? 1

जैवविविधता अधिनियम (बायोडायवर्सिटि ऐक्ट), 2002 की धारा 41 के अनुसार, इस अधिनियम को लागू करने के लिये आवश्यक संस्थागत् ढाँचे के अंतर्गत, प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करना ज़रूरी है। इस विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए जैवविविधता नियम, 2004 में दी गई है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिये केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ज़िम्मेदारी सौंपी गई हैं। अधिनियम में एक नया तीन–स्तरीय संस्थागत् ढाँचा प्रस्तावित किया गया है। इस संस्थागत् ढाँचे द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच, उनके संरक्षण एवं व्यवसायिक उपयोग से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकेंगे। इस संस्थागत् ढाँचे में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण सबसे ऊपर है, जो कि चैन्नई स्थित केन्द्रीय निकाय है। दूसरे स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किए जाने का प्रावधान है। और इस नए संस्थागत ढांचे में तीसरे (स्थानीय) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियां (बायोडायवर्सिटि मैनेजमैन्ट कमिटि (बी.एम.सी)) हैं।

## बी.एम.सी. का गठन कौन कर सकता है? 2

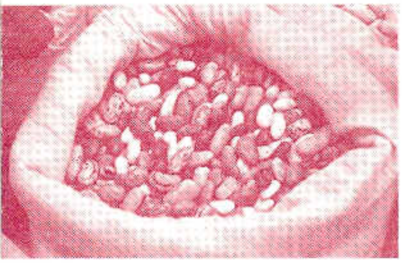

ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर क्षेत्र में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन, वहां के स्थानीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थान का मतलब है – पंचायतें या उनके समकक्ष अन्य संस्थाएं (जैसे – स्वशासी ज़िला परिषद या पहाड़ी परिषद)। शहरों एवं कस्बों में स्थानीय संस्थान का मतलब नगर पालिकाओं से है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पंचायतें या नगर पालिकायें नहीं हैं वहाँ बी.एम.सी. का गठन किसी भी संवैधानिक या कानूनी मान्यता प्राप्त स्वशासन संस्थानों के द्वारा किया जा सकता है।

## यदि स्थानीय समुदाय बी.एम.सी. के गठन के प्रस्ताव को मना कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? 3

अधिनियम में ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 41.1 एवं नियम 22.1 के अंतर्गत, बी.एम.सी. का गठन करना अनिवार्य है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई स्थानीय समुदाय, विकेन्द्रीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत, बी.एम.सी. के गठन के लिए मना कर सकता है कि नहीं।

## अधिनियम में निर्धारित बी.एम.सी. की संरचना का स्वरूप क्या है ? 4

बी.एम.सी. के गठन में एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते हैं। इन का चयन स्थानीय संस्थान के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इन नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें और कम से कम 18 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं। समिति के अध्यक्ष का चुनाव नामित सदस्यों में से किया जाएगा। *(नियम 22.2 एवं 22.3)*

## क्या बी.एम.सी.का गठन उस राज्य में किया जा सकता है जहाँ राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन न हुआ हो ? 5

जैवविविधता अधिनियम के अनुसार बी.एम.सी. का गठन स्थानीय संस्थान द्वारा होता है और यह किसी भी तरह अपने गठन और कार्य करने हेतु राज्य जैवविविधता बोर्ड पर निर्भर नहीं है।

## बी.एम.सी. की भूमिका क्या है?

6

अधिनियम के तहत् बी.एम.सी. को जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देने, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के दस्तावेज़ीकरण के लिये वृहद शक्तियाँ दी गयी हैं। अधिनियम के तहत् दी गयी शक्तियों में आवास–स्थलों का बचाव, विभिन्न प्रकार की परंपरागत् प्रजातियों, पालतू पशुओं के जाति व प्रजातियों एवं सूक्ष्म जीवों की नस्लों का संरक्षण शामिल है। यह भी आवश्यक है कि बी.एम.सी. इन जैव संसाधनों व उनसे जुड़े परंपरागत् ज्ञान को लिपिबद्ध करे। (अनुच्छेद 41.1)

लेकिन, विस्तृत संभावनाओं वाले अधिनियम को लागू करने के लिए बनाये गये जैवविविधता कानून बी.एम.सी. की भूमिका को निम्न कार्यों तक ही सीमित कर देते हैं –

- नियम (22) के अंतर्गत, बी.एम.सी. को संसाधनों एवं ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण एवं जैवविविधता रजिस्टर (पी.बी.आर.) तैयार करना है। इसके लिए राज्य जैवविविधता बोर्ड बी.एम.सी. को सहयोग देगा।
- नियम (22.6) के अंतर्गत सार्वजनिक जैवविविधता रजिस्टर में विस्तृत रूप से जैविक संसाधनों की उपलब्धता एवं उससे जुड़े ज्ञान, उनके औषधि उपयोग, अन्य उपयोग या इन से जुड़ा अन्य पारंपरिक ज्ञान का संकलन होना चाहिए।
- नियम (22.7) के तहत यह आवश्यक है कि बी.एम.सी. उन स्थानीय वैद्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, जो जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं।
- नियम (22.7) में यह भी बताया गया है एन.बी.ए. और एस.बी.बी. द्वारा भेजे गए मामलों पर बी.एम.सी. उनको सलाह देगी। इसका मतलब यह है कि बी.एम.सी. सक्रिय रूप से एन.बी.ए. या एस.बी.बी. को दिशानिर्देश नहीं दे सकती है बल्कि उसे इन संस्थाओं से आग्रह का इंतजार करना होगा। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि यह संस्थाएं बी.एम.सी. की राय को अपने निर्णय में शामिल करें।
- नियम (22.11) के तहत यह आवश्यक है कि बी.एम.सी. पी.बी.आर. के अतिरिक्त एक और रजिस्टर रखे, जिसमें जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए दी गई अनुमति, इस उपयोग पर लगाए गए शुल्क, लाभ वितरण और बंटवारे के लिए अपनाए गए तरीकों की विस्तृत जानकारी अंकित की जाएगी।

लेकिन एन.बी.ए. और एस.बी.बी., जो कि जैवविविधता उपयोग की अनुमति देने के लिए ज़िम्मेदार हैं, से बी.एम.सी. तक यह जानकारी कैसे पहुंचेगी, इसके कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गये हैं। साथ ही, अधिनियम या उसके नियमों में जैवविविधता संरक्षण में बी.एम.सी. की भूमिका पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

## क्या राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर बी.एम.सी. के गठन से जुड़े कोई दिशा निर्देश हैं?

7

अगस्त, 2008 तक बी.एम.सी. के गठन से संबंधित कोई भी ऐसे दिशा निर्देश या आधारभूत सिद्धांत उपलब्ध नहीं हैं।

## पी.बी.आर. के तैयार करने का क्या आशय हैं?

8

स्थानीय समुदायों द्वारा जैविक संसाधनों का दस्तावेज़ीकरण करने में आम तौर पर कोई समस्या नहीं है। असल में, स्थानीय समुदाय सदियों से अपने आस–पास उपलब्ध जैविक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान का लिखित, मौखिक और कला के रूप में दस्तावेजीकरण करते आ रहे हैं। लेकिन पी.बी.आर. बनाने की विधि, जो एन.बी.ए. की विशेषज्ञ समिति ने तैयार की है, इन पारंपरिक विधियों से अलग है। यह प्रारूप जानकारी के वृहद उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

इस औपचारिक पी.बी.आर. बनाने की प्रक्रिया में, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों की सहायता से बी.एम.सी. द्वारा एक प्रारूप भरा जाएगा जिसकी वैधता की पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा की जाएगी। यह एकत्र की गयी सूचना, कम्प्यूटर में अंकित की जाएगी जिसका संकलन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जैवविविधता सूचना प्रणाली (आई.बी.आई.एस.) में किया जायेगा।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन पी.बी.आर. पर केवल बी.एम.सी. का ही एकमात्र मालिकाना हक होगा या किसी और का। हालांकि नियम (22.10) में यह कहा गया है कि पी.बी.आर. का रख रखाव एवं उसकी पुष्टि बी.एम.सी. द्वारा की जाएगी, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दी गयी है। पी.बी.आर. के अंतर्गत लिपिबद्ध (लिखित) ज्ञान को गलत उपयोग से बचाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पी.बी.आर. के अंतर्गत एकत्र की गयी सूचना एक बार भारतीय जैव–विविधता सूचना प्रणाली (आई.बी.आई.एस.) से जुड़ जाने के बाद वह ऐसे प्रारूप में बदल जाएगी जिसे बी.एम.सी. और स्थानीय समुदाय आसानी से उपयोग मे नहीं ला पाएंगे।

बी.एम.सी. के अपर्याप्त ढाँचे (रूप रेखा) व एकत्र जानकारी के आवश्यक संरक्षण के अभाव में पी.बी.आर. बनाए जाने की प्रक्रिया के विषय में देशभर में गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है। यह स्पष्ट है कि एक बार पारंपरिक ज्ञान को पी.बी.आर. प्रारूप में परिवर्तित करने के बाद, स्थानीय समुदायों के अधिकतर सदस्य बिना किसी बाहरी सहायता के इस जानकारी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

## 9 क्या बी.एम.सी. के पास अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग की अनुमति देने या उस पर रोक लगाने का अधिकार है?

नहीं, बी.एम.सी. को उसके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के शोध, व्यवसायिक उपयोग या बौद्धिक संपदा का अधिकार जैसे – पेटेन्ट, भौगोलिक स्त्रोत आदि के लिए अनुमति देने या मना करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

विदेशी इकाई के आवेदन पर एन.बी.ए. अनुमति देगा। अनुच्छेद 41.2 के तहत् यह आवश्यक है कि एन.बी.ए. किसी विदेशी इकाई को अनुमति देने से पहले संबंधित बी.एम.सी. से परामर्श करेगी। अधिनियम के अनुच्छेद (24.1, 24.2 और 41.2) में यह बताया गया है कि यदि कोई भारतीय इकाई (पार्टी) किसी भरतीय क्षेत्र के जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहती है, तो उसे संबंधित एस.बी.बी. को अपने कार्यों के बारे में केवल सूचित करना पर्याप्त होगा। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि एस.बी.बी. को इस उपयोग की शर्तें निर्धारित करने से पहले संबंधित बी.एम.सी. से परामर्श करना होगा।

## 10 "परामर्श" शब्द से क्या आशय है?

यह आवश्यक है कि एन.बी.ए. और एस.बी.बी. अनुमति देने से पहले बी.एम.सी. से परामर्श करेंगे परन्तु बी.एम.सी. के विचारों को स्वीकार करने के लिये एन.बी.ए. और एस.बी.बी. बाध्य नहीं है। बी.एम.सी. द्वारा लिये गये निर्णयों को महत्व देने के लिये परामर्श शब्द को कुछ राज्यों (जैसे – मध्य प्रदेश, सिक्किम) ने राज्य स्तर के नियमों में 'पूर्व–सूचित अनुमति' के रूप में शामिल किया है। राज्यों द्वारा बनाये गये नियम केवल संबंधित राज्य में ही प्रभावी होंगे – यह नियम एन.बी.ए. पर लागू नहीं होते।

## 11 यदि कहीं बी.एम.सी. का गठन नहीं हुआ है तो परामर्श प्रक्रिया का क्या होगा?

अगस्त, 2008 तक, जबकि भारत के कई क्षेत्रों में बी.एम.सी. का गठन नहीं हुआ है, तब भी एन.बी.ए. ने जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग की अनुमति दी है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एन.बी.ए. को ऐसा करने से रोके।

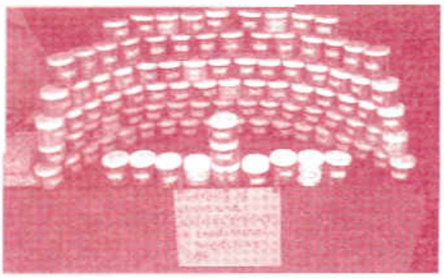

## क्या बी.एम.सी. जैविक संसाधनों के किसी भी तरह के उपयोग पर कोई शुल्क लगा सकती है? 12

अनुच्छेद 41.3 के तहत् बी.एम.सी. अपने क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग एवं एकत्रीकरण पर शुल्क लगा सकती है। समान्य परिस्थितियों में अधिनियम के तहत् विदेशी एवं प्रवासी भारतीय पार्टीयों पर यह शुल्क तब लागू होगी जब इन पार्टीयों को एन.बी.ए. द्वारा जैविक संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग एवं एकत्रीकरण की अनुमति दी जा चुकी हो।

## शुल्क लागू करने और उसको इकट्ठा करने की प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा? 13

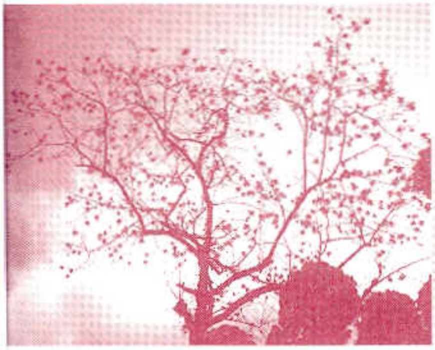

अनुच्छेद 21.2 के अंतर्गत, विदेशी पार्टी और प्रवासी भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के व्यवसायिक उपयोग के लिए एन.बी.ए. द्वारा शर्तें निर्धारित की जाएंगी, जिनमें लाभ वितरण की प्रक्रिया और संबंधित शर्तें तय की जाएंगी। एन.बी.ए. द्वारा अनुबंध का एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे अलग–अलग परिस्थितियों के अनुसार बदल कर उपयोग किया जा सकता है। इस अनुबंध पर एन.बी.ए. और आवेदक (जो उपयोग करना चाहता है) के बीच हस्ताक्षर किया जायेगा।

जैविक संसाधनों एवं संबंधित ज्ञान के व्यवसायिक उपयोग के भारतीय आवेदकों पर बी.एम.सी. द्वारा 'एकत्रण शुल्क' की प्रक्रिया के बारे में अधिनियम में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है।

## स्थानीय जैवविविधता कोष (फंड) के तहत् एकत्र की गयी राशि का उपयोग कैसे होगा और इसके उपयोग पर कौन नियंत्रण करेगा? 14

अनुच्छेद 43 के तहत् राज्य सरकार द्वारा हर ऐसे स्थान पर स्थानीय जैवविविधता कोष का गठन करना ज़रूरी है जहां किसी भी प्रकार की स्वशासन संस्था मौजूद हो। इस स्थानीय जैवविविधता कोष में बी.एम.सी. द्वारा लगाए गए शुल्क तथा अन्य फीस आदि से जमा की गई राशि और राज्य सरकार, एस.बी.बी और एन.बी.ए. द्वारा दिये गये अनुदान जमा किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद (44.1) के तहत्, कोष के प्रबंधन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनुच्छेद (44.2) के तहत्, इस कोष का उपयोग स्थानीय संस्था के कार्यक्षेत्र में जैवविविधता के संरक्षण एवं विस्तार के लिये किया जा सकता है जिनसे स्थानीय समुदाय को भी फायदा मिलता हो।

## स्थानीय जैवविविधता कोष का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण कैसे किया जाता है? 15

जो व्यक्ति स्थानीय जैवविविधता कोष को संभाल रहा है, वह प्रत्येक वर्ष इस कोष द्वारा किए गए कार्यों की आर्थिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के सभी क्रिया कलापों का विवरण होगा। संबंधित व्यक्ति खाते तैयार करेगा और उनका राज्य के लेखा नियंत्रक की सलाह से निर्धारित लेखा परीक्षण करवायेगा।

संबंधित व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट, खातों की लेखा परीक्षण की प्रति और लेखा नियंत्रक की रिपोर्ट संबंधित स्थानीय संस्था को सौंप देगा। संबंधित स्थानीय संस्था इसे संबंधित जिला अधिकारी को सौंप देगी (अनुच्छेद 45, 46 एवं 47)।

## 16 अधिनियम के अंतर्गत लाभ में साझेदारी के लिए क्या–क्या तरीके अपना सकते हैं और इन विभिन्न तरीकों में बी.एम.सी. की कोई भूमिका है या नहीं?

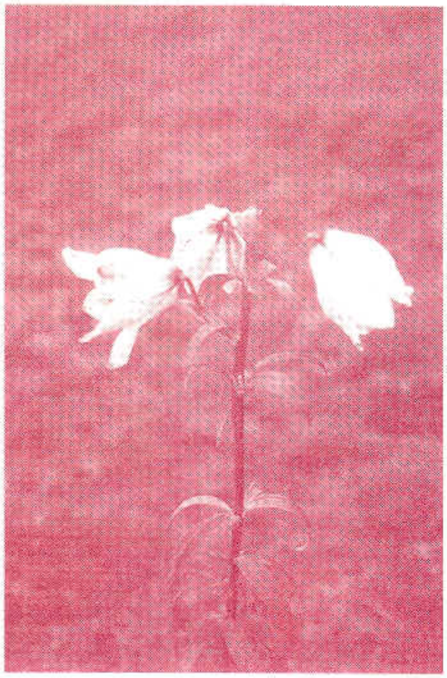

जब विदेशी या भारतीय इकाइयां जैविक संसाधनों के उपयोग या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान से लाभ अर्जित करेंगी, तभी लाभ में साझेदारी के नियम की आवश्यकता होगी।

अधिनियम की धारा 21.2 के तहत्, लाभ में साझेदारी के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) जैसे पेटेन्ट, भौगोलिक स्त्रोत शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें आवेदक और एन.बी.ए. या अन्य अभिज्ञात दावेदारों के बीच हिस्सेदारी होगी। लाभ की साझेदारी में एक या एक से अधिक बी.एम.सी./गाँव सम्मिलित हो सकते हैं।

लाभ की साझेदारी संयुक्त संगठनों या 'वेन्चर कैपिटल फंड' के रूप में दावेदारों, वैज्ञानिकों और आवेदकों के बीच में भी हो सकती है। यह साझेदारी शोध, संयुक्त सर्वेक्षण आदि के लिए की जा सकती है।

आर्थिक मुआवज़ा और गैर–आर्थिक लाभ ऐसे किसी भी दावेदार को दिए जा सकते हैं जिसे एन.बी.ए. सही समझती हो।

लाभ के हकदारों के निर्धारण एवं लाभ में साझेदारी की व्यवस्था में बी.एम.सी. एवं स्थानीय समुदायों की कोई भूमिका नहीं है। यह निर्धारण एन.बी.ए. के द्वारा किया जाता है।

अधिनियम की अनुच्छेद 21.3 के अनुसार, वर्तमान तंत्र में अधिकतर लाभ राष्ट्रीय जैवविविधता कोष में जमा किए जाएंगे।

## 17 स्थानीय समुदाय के सदस्यों को कैसे पता चलेगा कि जिन संसाधनों पर उनकी आजीविका निर्भर है, उन पर किसी और को अधिकार दिए जा चुके हैं? क्या बी.एम.सी. में जैव–विविधता के उपयोग के लिए दी गयी अनुमति का लेखा–जोखा होता है?

अधिनियम के तहत, एन.बी.ए. द्वारा दी गयी प्रत्येक अनुमति के बारे में लोगों को सूचना होनी चाहिए। जबकि अब तक केवल कुछ सूचनाएँ ही एन.बी.ए. की वैबसाइट में उपलब्ध हैं जो कि पारदर्शिता लाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

यदि इस अधिनियम को सच्ची मनशा से लागू किया जाता, तो यह उचित था कि एन.बी.ए. कोई भी अनुमति देने से पहले संबंधित बी.एम.सी. से परामर्श करती। अतः बी.एम.सी. के पास जानकारी होती, जिससे स्थानीय समुदाय के सदस्यों को भी सूचना मिल जाती। अधिनियम के तहत बी.एम.सी. द्वारा इन सूचनाओं का एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए (प्रश्न 6 देखें)।

## 18 प्रदान की गयी अनुमति या अनुचित लाभ वितरण के विषय में विवाद की स्थिति में क्या होगा? यदि एन.बी.ए. या एस.बी.बी. के द्वारा लिये गये निर्णय से बी.एम.सी. सहमत न हो तो क्या होगा?

अधिनियम के अंतर्गत, बी.एम.सी. को संसाधनों एवं ज्ञान के उपयोग पर रोक लगाने या खारिज करने की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। अधिनियम या उसको लागू करने के लिए बनाए नियमों में ऐसी कोई प्रक्रिया विधि नहीं है जिससे, एन.बी.ए. एवं एस.बी.बी. द्वारा लिये गये निर्णयों के विरुद्ध बी.एम.सी. अपील कर सके। अपील करने के लिए बी.एम.सी. को भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो किसी भी सामान्य नागरिक के लिए उपलब्ध है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो एन.बी.ए. या एस.बी.बी. के निर्णय से सहमत नहीं है, वह निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। (अनुच्छेद–52)

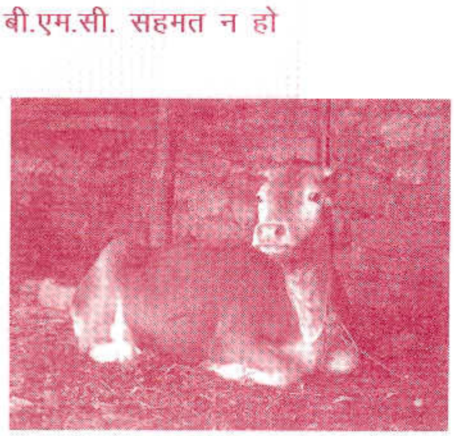

**यदि अनुमति, निर्धारित शुल्क इत्यादि मामलों में एक बी.एम.सी. दूसरी बी.एम.सी. से मतभेद रखती हो तो वह दूसरी बी.एम.सी. को किस प्रकार चुनौती दे सकती है?** 19

अधिनियम के तहत ऐसी कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गयी है जिससे एक बी.एम.सी. दूसरी बी.एम.सी. के दावे या मत के विरुद्ध उसे चुनौती दे सके।

**बी.एम.सी. का गाँव/कस्बे में गठित अन्य संस्थाओं जैसे, ग्राम वन समिति (वी.एफ.सी.), पर्यावरण विकास समिति (ई.डी.सी.) आदि से क्या संबंध है?** 20

अधिनियम एवं राष्ट्रीय स्तर के नियमों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, जिससे बी.एम.सी. गाँव/कस्बे में गठित अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सके। कुछ राज्यों के नियमोंनुसार (जैसे – मध्य प्रदेश, सिक्किम) यदि स्थानीय संस्थाओं को लगता है कि वे बी.एम.सी. के कार्यो को कर सकते हैं, तो उन्हें बी.एम.सी. के कार्य संभालने की अनुमति हैं। ऐसी स्थिति में, ग्राम वन समिति (वी.एफ.सी.) या पर्यावरण विकास समिति (ई. डी.सी.) या संपूर्ण ग्राम सभा बी.एम.सी. के रूप में काम कर सकती है।

**क्या 'जैवविविधता धरोहर क्षेत्र' की उद्‌घोषणा में बी.एम.सी. की कोई भूमिका है?** 21

अनुच्छेद 37 के तहत् राज्य सरकारों द्वारा 'जैवविविधता धरोहर क्षेत्र' की पहचान एवं घोषणा स्थानीय संस्थाओं से परामर्श करने के बाद की जाएगी। अगस्त, 2008 तक ऐसे कोई दिशानिर्देश या प्रावधान नहीं हैं जिसके अंतर्गत स्थानीय संस्थाएं इस संबंध में बी. एम.सी. से समन्वय रखे।

**'जैविक चोरी' की स्थिति में बी.एम.सी. क्या कर सकती है?** 22

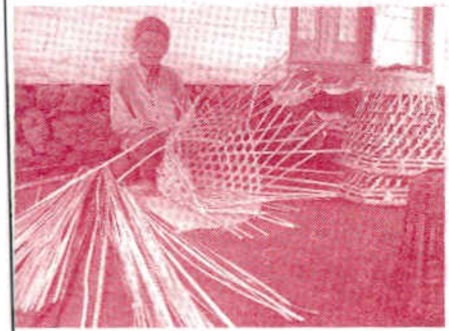

अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े ज्ञान की चोरी या बिना लोगों के साथ लाभ वितरण किए उनके व्यापारिक उपयोग की स्थितियों में बी.एम.सी. की भूमिका स्पष्ट करते हों। इस विषय में अवधारणा यह है कि, बी.एम.सी. जैविक संसाधनों से जुड़े मुद्दे को लेकर एस.बी.बी. के पास जा सकती है या एन.बी.ए. के समक्ष मुद्दे को उठा सकती है। लेकिन अधिनियम या नियमों में ऐसी संभावनाओं का कोई वर्णन नहीं है।

यह लेख कल्पवृक्ष और ग्रेन संस्था के जैवविविधता के मुद्दों पर चल रहे संयुक्त कार्यक्रम अंतर्गत तैयार किया गया है। और अधिक जानकारी या अपने विचार रखने के लिये कृपया
ashishkothari@vsnl.com या kanchikohli@gmail.com से संपर्क करें।
अनुवादक : विकल समदरिया, निधि अग्रवाल
फोटो : कांची कोहली, पासांग दोरजी लैप्चा, मश्कुरा फरीदी, आशिष कोठारी
चित्रांकन : मनीषा गुटमन
फोन : 020-25675450, दिल्ली : 011-22753714
वैबसाईट : www.kalpavriksh.org; www.grain.org

GRAIN